न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 230/2015

प्रेमलाल पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
——अपीलार्थी

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)।

   1/1 सलोचना पत्नी सुभाषचन्द
   1/2 अनिता
   1/3 रजनी
   1/4 रामचन्द
   1/5 दीपक कुमार
   — पिसरान सुभाषचन्द जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. रामेश्वर लाल — पिसरान मनीराम
3. धर्मपाल
4. विद्यादेवी पत्नी भंवरलाल जाति बिश्नोई निवासी रामपुरिया तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. राधा देवी पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी गंगा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
6. सरोजना पत्नी निहालचन्द जाति बिश्नोई निवासी 83 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. बिमला पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रामपुरिया तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
8. साधुसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 14.10.2015

उपस्थिति :–

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 6 व 8

श्री महावीर धारणियां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 8 के पति– पिता मनीराम के नाम से चक 1 वाई के मु.नं. 34, 35, की 2.430है0 व चक 3 एल.एन.पी. के मु.नं. 2 में 3.160है0 खातेदारी दर्ज है। मनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण है। अप्रार्थी सं. 4 से 7 अपने सुसराल में रह रही है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 तथा 8 के पास ब.हि.ब. काश्त है। इस प्रकार प्रार्थी अपने 1/5 हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज है। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। अप्रार्थी सं. 1 से व 8 ने जबाब प्रा. पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 14.10.2015 को प्रार्थी का प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर 1/9 हिस्से की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलांट का 1/5 हिस्सा बनता है। अधी. न्यायालय ने 1/9 हिस्से की सीमा तक जो आदेश पारित किया है वह उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील

अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए 1/5 हिस्सा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि मनीराम के कुल 9 वारिस हैं। प्रत्येक 1/9 हिस्सा बनता है। अधी. न्यायालय ने 1/9 हिस्से की सीमा तक जो स्थगन जारी किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट ने विवादित भूमि में अपना 1/5 हिस्सा होना बताया है जबकि मनीराम के कुल पत्नी सहित 9 वारिस हैं। अपीलांट का 1/5 हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्णय तो साक्ष्य आदि आने के पश्चात ही अधी. न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जाना है। इस प्रकरण में अधी. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि अपीलांट अपने 1/9 हिस्से तक ही प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित करने में सफल रहा है। अधी. न्यायालय के इस विनिश्चय में इस न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं है। तद्नुसार अधी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपीलांट का विरासतन 1/9 हिस्सा मानते हुए जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर